भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2347
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 3 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना

2347. **हनुमान बेनीवालः**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राजस्थान के मानगढ़ धाम का देश के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की लंबे समय से मांग की जा रही है;
(ख) क्या सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है या योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति और निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए कोई ठोस निर्णय लेने पर विचार कर रही है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): मानगढ़ धाम को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन मिले थे।

स्थल निरीक्षण के आधार पर, यह देखा गया है कि इस स्थल पर बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण कार्य हुए हैं। इन व्यापक आधुनिक बदलावों के कारण, यह स्थल पुरातात्विक विशेषताओं, प्रामाणिकता और अखंडता को बनाए नहीं रखता है, जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है।

तद्नुसार, मानगढ़ धाम, जिला-बांसवाड़ा, राजस्थान, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/स्थल के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं है।

(ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
